

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.17/2014/393

दिनांक : 05/09/14

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुन्दी/भीलवाडा/करौली।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल राजसमंद/ सैटेलाईट अस्पताल, हिरणमगरी, उदयपुर/जनाना अस्पताल, झुन्झुनू।

विषय : एस0बी0सिविल रिट संख्या 1916/डॉ0 गोवर्धन सिंह शेखावत (चि0अधि0-दन्त नियुक्ति अभ्यार्थी)/राज्य सरकार।

संदर्भ : संयुक्त निदेशक, जोन- जोधपुर का पत्र क्रमांक विधि/2014/403 दिनांक 04/09/14

--- :: --- :: ---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त निदेशक जोन-जोधपुर से प्राप्त संदर्भित पत्र दिनांक 04/09/14 द्वारा इस निदेशालय को यह सूचित किया है कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पेशी दिनांक 01/09/14 को दिए गये निर्देशों की पालना में दिनांक 09/09/14 तक पक्षकार निम्नलिखित चिकित्सकों को नोटिस व रिट की प्रति तामील कराई जानी है।

क.सं	पक्षकार संख्या	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	05	डॉ0 अमित कुमार, चि0अधि0	जिला अस्पताल, राजसमन्द
2.	06	डॉ0 रोशन आरा, चि0अधि0	सामु0 स्वा0 केन्द्र, तालेडा, बुन्दी
3.	07	डॉ0 त्रिवेन्द्र चौहान, चि0 अधि0	सामु0 स्वा0 केन्द्र, गंगानगर (भीलवाडा)
4.	08	डॉ0 मनीष कुमार बैरवा, चि0 अधि0	सैटेलाईट अस्पताल, हिरणमगरी (उदयपुर)
5.	09	डॉ0 दीपशिखा मीणा चि0 अधि0	सामु0स्वा0केन्द्र, टोडाभीम, (करौली)
6.	10	डॉ0 मगन कुमारी मीणा चि0 अधि0	जनाना अस्पताल, (झुंझुनू)

अतः उपरोक्त पक्षकार चिकित्सक नोटिस व रिट की प्रति तामील करवाने हेतु आपके कार्यालय के पत्र वाहक को दिनांक 08/09/14 को इस निदेशालय में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। कृपया पत्र को उच्च प्राथमिकता दें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपी :-

1. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधित के ई-मेल आईडी पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।